राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2277/2025

ईमरान लीलगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Bainslana, किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर (राज.)।
4. जिला चुनाव अधिकारी (कलेक्टर), जयपुर, जिला जयपुर (राज.)।
5. उप संभागीय अधिकारी, सांभरलेक, जिला जयपुर (राज.)।
6. श्री गणेश वैष्णव, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, प्रेमपुरा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2025

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Bainslana, सांभरलेक, ब्लॉक किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 11.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को बीएलओ का अतिरिक्त कार्य दिया गया है। जबकि अपीलार्थी आदेश दिनांक 18.01.2022 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), Bainslana, सांभरलेक, जयपुर साक्षात्कार माध्यम द्वारा पदस्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को बीएलओ का कार्य दिया जाना उचित नहीं है तथा आदेश दिनांक 16.09.2020 एवं 14.11.2019 के अनुसरण में बीएलओ का कार्य महात्मा गांधी विद्यालय के स्टाफ को दिये जाने से मना किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी डिमेंसिया और उसका भाई कैंसर जैसी बीमारी से पीडित है, इसके बावजूद अपीलार्थी को बीएलओ का अतिरिक्त कार्य दिया गया है, जो नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.02.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बीएलओ के कार्य से मुक्त रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Bainslana, सांभरलेक, ब्लॉक किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बीएलओ का कार्य आवंटित किया गया है, परंतु हमें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में हम वर्तमान मामले तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष